क्रम संख्या–191

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 नवम्बर, 2002 ई0
कार्तिक 16, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
पेयजल अनुभाग

संख्या 2231/नौ–2 (12 अधि0)/2001
देहरादून, 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप, में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकता है जो आवश्यक व समाचीन हो ;
तथा चूंकि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है ;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ

(i) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहा जाएगा।

(ii) इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(iii) यह अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा।

धारा 2 का संशोधन

2– (i) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (12) में उल्लिखित शब्द " नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, जिला परिषद, क्षेत्र समिति और गांव सभा" निम्नवत पढ़ी जाएगी :–
"नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत"

(ii) मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (15) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :–

(15) "निगम" का तात्पर्य "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम"

धारा 3 का संशोधन

3 (i) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में "उत्तर प्रदेश जल निगम" शब्द के स्थान पर "उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" रख दिया जाएगा।
(ii) मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) में शब्द "लखनऊ" के स्थान पर "देहरादून" रख दिया जाएगा।

धारा 4 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में निम्न व्यवस्था समझी जाएगी :–
4 (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त निगम का एक अध्यक्ष होगा, जो सचिव, पेयजल विभाग – पदेन अध्यक्ष होगा।

4 (2) अध्यक्ष से भिन्न सदस्य निम्नलिखित व्यवस्था से नियुक्त समझे जाएंगे :–
(क) राज्य सरकार द्वारा, अर्हित अभियंता जिनके पास प्रशासनिक अनुभव तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो, प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, तथा जिसे इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।
(ख) – राज्य सरकार का वित्त सचिव – पदेन सदस्य।
(ग) – राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।
(घ) – राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।
(ङ) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक – पदेन सदस्य।
(च) – राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान एवं अनुभव हो।
(छ) – राज्य सरकार द्वारा नामित, एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए, कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान – सदस्य।
(ज) – उत्तरांचल जल संस्थान का मुख्य महाप्रबंधक – पदेन सदस्य।
(3) – पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।
(4) – उपधारा (2) के उपबन्ध (ख), (ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ङ) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेगा। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

धारा 14 का संशोधन

5 (i) – मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "योजनाएं तैयार कराया जाना" तथा "निष्पादन कराना" के बीच में "निर्माण" शब्द रख दिया जाएगा।

(ii) मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) (3) के बाद धारा 14 (1), (14) से पहले निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाएगा :–

"निर्माण संस्था राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा राज्य से बाहर भी निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकेगी"।

6 मूल अधिनियम की धारा 16 निरसित समझी जाएगी। धारा 16 का निरसन

7. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नवत प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा – धारा 20 का प्रतिस्थापन

(i) मूल अधिनियम की धारा 18 कि अन्तर्गत कुमायूं तथा गढ़वाल जल संस्थान के एकीकरण के फलस्वरूप गठित "उत्तरांचल जल संस्थान" की सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में अधिकारिता है, जिसका पदेन अध्यक्ष सचिव, पेयजल होगा, जो उपबन्ध (2) में इंगित सदस्यों से अतिरिक्त होगा।

(ii) उपधारा (1) में उल्लिखित पदेन अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे :–

(क) मुख्य महाप्रबंधक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अर्हित अभियंता जिनके पास प्रशासनिक तथा जल सम्भरण एवं सीवरेज कार्य से संबंधित अनुभव हो, नियुक्त किया जाएगा, एवं इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, इस पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह होगा।

(ख) राज्य सरकार का वित्त सचिव – पदेन सदस्य।

(ग) राज्य सरकार का नियोजन विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(घ) राज्य सरकार का नगर विकास विभाग का सचिव – पदेन सदस्य।

(ङ) राज्य सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक – पदेन सदस्य।

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वित्त निदेशक जिसे वित्त एवं लेखों का अनुभव हो।

(छ) राज्य सरकार द्वारा गठित एक नगर निगम से सम्मिलित करते हुए कुल चार स्थानीय निकायों के, निर्वाचित प्रधान – सदस्य।

(ज) उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक – पदेन सदस्य।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जाएगी।

(4) उपधारा (2) के उपबन्ध (ख) (ग) एवं (घ) में इंगित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने की दशा में संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उपबन्ध (ङ) में इंगित सदस्य के स्थान पर अपर निदेशक प्रतिभाग कर सकेंगे। इन सदस्यों को बैठकों की कार्यवाही पर प्रतिभाग करने एवं मतदान का अधिकार होगा।

8 (i) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) को निम्नवत पढ़ा जाना : – उपधाराओं में वर्णित "निगम" शब्द के स्थान पर "राज्य सरकार" रख दिया जाएगा। धारा 25 का संशोधन

8 (ii) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (8) में "निगम" शब्द का प्रतिस्थापन कर "राज्य सरकार" पढ़ा जाना समझा जाएगा।

9. मूल अधिनियम की धारा 30 में वर्णित शब्द "निगम" के स्थान पर "राज्य सरकार" पढ़ा जाएगा। धारा 30 का संशोधन

धारा 37 का संशोधन

10. (1) मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) मे शब्दावली "राज्य सरकार के स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग" के पश्चात " नियत दिनांक "को तथा से निगम का कर्मचारी हो जाएगा" के स्थान पर शब्दावली "उत्तर प्रदेश जल निगम जिसे तत्कालीन पर्वतीय उपसंवर्ग का सदस्य होने के कारण उत्तरांचल राज्य आवंटित हो अथवा उत्तरांचल राज्य में कार्य करने हेतु विकल्प दिया हो, या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में आदेश पारित किया गया हो, नियत तिथि से उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के कार्मिक माना जाएगा" प्रतिस्थापित कर दी जाएगी।

मूल अधिनियम की धारा 43 का संशोधन

11 मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 1 मे शब्द "निगम" के पश्चात एवं "उत्तरांचल जल संस्थान" जोड़ा जाएगा।

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of Uttaranchal is pleased to order publication of the following English version of notification no. 2231/Nine-2 (12 Adhi.)/2001, dated November 07, 2002 for general information.

No 2231/Nine-2 (12 Adhi.)/2001
Dated Dehradun, November 07, 2002

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

Whereas under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttaranchal Government may by an order make such adaptations and modifications of the law by way of repeal or amendment as necessary or expedient;

And whereas under Section 86 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2002, the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 is in force in the State of Uttaranchal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred Under Section 87 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000 (Act No- XXIX of 2000) the Governor is pleased to direct that the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975 shall have applicability to the state of Uttaranchal subject to the provision of the following order :-

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002

Short title, extent and commencement.

1(i) This order may be called the Uttaranchal (the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975) Adaptation and Modification Order, 2002.

(ii) It extends to whole of Uttaranchal excluding Cantonment areas.

(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2

2(i) In Subsection (12) of Section 2 of the Principal Act for the words "Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Commmittee, Zila Parishad, Kshettra Samiti, or a Gaon Sabha" the following sub-section shall be subsituted, namely :-

"Nagar Nigam, Nagar Palika Parishad, Nagar Panchyat, Zila Panchyat, Kshetra Panchyat, or a Gram Panchyat".

(ii) In subsection (15) of Section 2 of the Principal Act for the words "The Uttar Pradesh Jal Nigam" the following words shall be subsituted, namely :-

"The Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam".

Amendment of Section 3

3(i) In subsection (1) of Section 3 of the Principal Act in place of "Uttar Pradesh Jal Nigam" the following words shall be subsituted, namely :-

"The Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam".

3(ii) In subsection (4) of Section 3 of the Principal Act for the word "Lucknow" the word "Dehradun" shall be subsituted.

Subsection of Section 4

4. For section 4 of of the Principal Act the following section shall be subsituted, namely :-

"4 (1) The Nigam shall consist of a Chairman, who shall be Secretary of Pey Jal Vibhag *Ex officio*, besides the members specified in subsection (2).

(2) The members, other than the chairman shall be as follows, namely :-

(a) A Managing Director to be appointed by the State Government, who shall be full time qualified engineer having administrative experience and also the experience of Water Supply and Sewerage works.

(b) Secretary to the State Government in the Finance Department *ex-officio*.

(c) Secretary to the State Government Department of planning *ex-officio*.

(d) Secretary to the State Government Department of Urban development *ex-officio*.

(e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government *ex-officio*.

(f) Director Finance to be appointed by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts.

(g) Four elected Heads of Local Bodies including one from Nagar Nigam to be nominated by the State Government.

(i) Chief General Manager of Uttaranchal Jal Sansthan *ex-officio*.

(3) Members other than *ex-officio* members shall be notified in the Official Gazette.

(4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote."

Amendment of Section 14

5.(i) In Section 14 (1) between the words "the preparation" and "execution" the word "construction" shall be inserted.

5.(ii) After Section 14(1)[iii] and before 14(1)(xiv) the following subsection shall be added, namely :-

"To function as Construction Agency for other Departments of the State Government and also out side the State.

Repeal of Section 16

6. Section (16) of the Principal Act is repealed.

substitution of section 20

7. For Section 20 of the Principle Act, the following section shall be substituted, namely :-

Constitution of Uttaranchal Jal Sansthan

"20,(1) A Jal Sansthan, to be known as "Uttaranchal Jal Sansthan" constituted under Section 18 of the Principal Act having jurisdiction throughout the State of Uttaranchal by amalgamation of "Garhwal Jal Sansthan" and "Kumaun Jal Sansthan", shall have Chairman who shall be the Secretary of the Pey Jal Vibhag to the Government *Ex-officio*, besides the members specified in sub-section (2).

20,(2) The Member other the Chairman shall be as follows :-

(a) A Chief General Manager to be appointed by the State Government, who shall be qualified engineer having administrative experience of Water Supply and Sewerage works.

(b) Secretary to the State Government in the Finance Department *ex-officio*.

(c) Secretary to the State Government Department of planning *ex-officio*.

(d) Secretary to the State Government Department of Urban development *ex-officio*.

(e) Director General Medical and Health Services, Uttaranchal Government *ex-officio*.

(f) Director Finance to the appointment by the State Government, who shall have experience of matters relating to finance and accounts.

(g) Four elected Heads of Local Bodies including one Nagar Nigams to be nominated by the State Government.

(h) Managing Director of Uttaranchal Pey Jal Nigam *ex-officio*.

20, (3) Members other than *ex-officio* members shall be notified in the Official Gazette.

20, (4) A member referred to in clause (b), (c) and (d) of subsection (2) may, instead of attending a meeting of the Nigam himself, depute an officer, not below the rank of Joint Secretary in his department, and not below the rank Additional Director in case of a member referred to in clause (e) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote."

8(i) In subsection (6), of section 25 of the Principal Act for words "Subject to approval of the Nigam" the words "Subject to approval of the State Government" shall be substituted. — Amendment of Section 25

8(ii) In subsection (8), of section 25 of the Principal Act for word "Nigam", the words "State Government" shall be substituted.

9. In Section 30 of section 25 of the Principal Act for word "Nigam" the word "State Government" shall be substituted. — Amendment of Section 30

10(1) In Section 37(1) of the Principal Act after the words "Local Self Government Engineering Department of the State Government" the words "Uttar Pradesh Jal Nigam who are allotted Uttaranchal State on account of being a member of hill sub-cadre, or an option for Uttaranchal State or on account of any decision of a competent court of law, shall on and from the appointed day become employee of the "Uttaranchal Pey Jal Sansadhan Vikas Avam Nirman Nigam" shall be substituted. — Amendment of Section 37

11. In Section 43(1) of the Principal Act between the words "Nigam" and "for the purposes" the words "Uttaranchal Jal Sansthan" shall be inserted. — Amendment of Section 43

(P.K. Mohanty)
Secretary

पी०एस०यू० (आर०ई०) 4 पेयजल/427–2002–500+75 (कम्प्यूटर/रीजियो)।